संख्या-580/2017/208/22-2-2017-17(232)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 जुलाई, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रिंकू सविता पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/2016(एम-17-11-2016) दिनांक-16-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रिंकू सविता पुत्र श्री विनोद कुमार, निवासी-47बी, देहली सुजानपुर, थाना-चकेरी, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 22.08.2001 को सायं लगभग 07:45 बजे बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लूट के इरादे से डकैती कर श्रीमती नीता शर्मा की हत्या तथा श्रीमती सुलोचना को घायल कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-32/2002 में भा0द0वि0 की धारा-369, 412 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-8), कानपुर नगर के आदेश दिनांक 08.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.11.2016 तक 15 वर्ष 01 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 01 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 07सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं तथा 02 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा हो चुके है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 21.03.2016 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 22.08.2001 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लूट के इरादे से डकैती कर श्रीमती नीता शर्मा की हत्या करने तथा श्रीमती सुलोचना को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 36 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, समिति की संस्तुति के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रिंकू सविता पुत्र श्री विनोद कुमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रिंकू सविता बन्दी संख्या-26268) पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-580/2017/208(1)/22-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-580/2017/208/22-2-2017-17(232)/2017

दिनांक 19 जुलाई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रिंकू सविता पुत्र श्री विनोद कुमार, निवासी-47बी, देहली सुजानपुर, थाना-चकेरी, जनपद- कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 22.08.2001 को सायं लगभग 07:45 बजे बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लूट के इरादे से डकैती कर श्रीमती नीता शर्मा की हत्या तथा श्रीमती सुलोचना को घायल कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-32/2002 में भा0द0वि0 की धारा-369, 412 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-8), कानपुर नगर के आदेश दिनांक 08.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.11.2016 तक 15 वर्ष 01 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 01 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 07सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं तथा 02 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा हो चुके है। जिला मैजिस्ट्रेट, कानपुर नगर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 21.03.2016 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 22.08.2001 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लूट के इरादे से डकैती कर श्रीमती नीता शर्मा की हत्या करने तथा श्रीमती सुलोचना को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 36 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं है, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, समिति की संस्तुति के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रिंकू सविता पुत्र श्री विनोद कुमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in